न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	32/24	2024/59	27.08.2027	सरकार बनाम दिनेश मित्तल	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32/2024 (2024/59)

उनवान प्रकरण

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।– आवेदक

बनाम

1. श्री दिनेश मित्तल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स गुरुक्या मावा डीलर पंसारी गली, गगापुर सिटी 322201 निवासी– हाड़ोत्या कॉलोनी, गगापुर सिटी 322201– –अभियुक्त

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहा अभियान (शुद्ध आहार मिलादर पर वार) के तहत दिनाक 29.03.2024 को दोपहर 02:00 पी.एम पर फर्म गुरुकृपा मावा डीलर पसारी गली, गगापुर सिटी पर पहुंचा पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसे मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश मितल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया एवं सस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु लगभग 50 किलोग्राम मावा दूकान में रखा था। उक्त मावा (लूज) में गुणवत्ता में कमी होने का अनंदेशा होने पर वास्ते नमुना जाँच 1 किलोग्राम खरीदकर उनकी कामत 200/– रुपये विक्रेता श्री दिनेश मितल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा । किलोग्राम मावा (लूज) को एक स्टील के खाली बर्तन में लेकर चार प्लास्टिक की बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में भर कर फॉरमर्लिन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर विपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–3212 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वय ने हस्ताक्षर किये विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर [illegible] अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की [illegible] शुदा पेपर स्लिप नं. एच–3212 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक [illegible] से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील [illegible] चस्पा किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [illegible] गंगापुर [illegible]

नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूनाभागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री दिनेश मितल ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति श्री दिनेश मितल को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म स. इए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियों तैयार की 'और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/328 दिनांक 22:04 2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स एलएस/1214/एक्ट/2024/1397 दिनाक 15.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (लूज) **Substandard** प्रकृति का होना पाया गया है।आवेदक द्वारा **Substandard** प्रकृति के मावा (लूज) का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।अभियुक्त की सम्यक् रूप से तामील होने पर अभियुक्त दिनांक 23.09.2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ तथा दौराने बहस दिनांक 14.01.2026 , 27.01.2026 ,9.02.2026, 24.02. 2026 को अभियुक्त न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार गुणावगुण पर पत्रावली निस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया गया।

प्रार्थी पक्ष द्वारा उल्लेख किया गया है कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ मावा (लूज) **Substandard** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स एलएस/1214/एक्ट/2024/1397 दिनाक 15.04.2024 निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

NABL TC8946

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Report No. L.S. /1214/ Act / 2024 / 1397

Date :- 15-04-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawal Madhopur a sample of "Mawa" bearing Code number and Serial number H-3212 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawal Madhopur area on 02-04-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues (Mawa/Khoya)" falling under Regulation No. 2.1.6 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 04-04-2024 to 15-04-2024 and the result of its analysis is [given] below.

Analysis Report:
(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.
(2) Physical appearance : - Creamish coloured soft solid material.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per: (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder (b) As per label declaration for Proprietary food
1.	Milk fat content of the finished product (on dry weight basis).	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.4:2016	25.59 %	Not less than 30.0%.
2.	Total Solid m/m	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.3:2016	65.71 %	Minimum 55.0%
3.	Total ash m/m	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 10.7:2016	2.89 %	Maximum 6.0%
4.	Titratable acidity (as % lactic acid)	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 9.5:2016	0.43 %	Maximum 0.9%
5.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.3:2016	42.3	40.0 to 44.0
6.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.2:2016	Negative	Negative.
7.	Test for added Sugar.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.1:2016	Negative	Negative.
8.	Test for Neutralizer	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.11:2016	Negative	Negative.
9.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.4:2016	Negative	Negative.
10.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 3.2:2016	Absent	Absent.

Opinion- The sample of "Mawa" bearing Code No. and Sr. No. H-3212 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawal Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signed this 15th day of April 2024

Food Analyst
(Authorized Signatory)
[SHU]CHITA AGRAWAL

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (लूज) **Substandard** प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त

अतिरिक्त जि[ला मजि]स्ट्रेट
गंगापुर

सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ मावा (लूज) **Substandard** प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 50,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:26 IST
Reason: SelfAttested